

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1123

दिनांक - 31/03/23

प्रार्थी
1 कल्याणसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी चुली तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 खेताराम पुत्र मोवणाराम 2 पूराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट 3 इब्राहीम पुत्र मीठू 4 शकूर पुत्र साहली 5 ईशाक पुत्र मीठू 6 चनेसर पुत्र दोदा जाति मुसलमान निवासी झाडवा, चुली 7 गणपतसिंह पुत्र निम्बसिंह जाति राजपूत निवासी सरदारपुरा 8 लेखराज 9 सवाईचंद पिसरान मांगीलाल जाति मोची निवासी तनसिंह सर्किल बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 10 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 367/2022

दिनांक- 31/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा झाडवा पटवार क्षेत्र चुली तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 83/29 रकबा 8.0937 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा गौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1124-27

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करके वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चुली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कल्याणसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी चुली तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खेताराम पुत्र मोवणाराम वगैराह जाति जाट निवासी झाडवा, चुली तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर